ब अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा

PA Case No- **06/2019-20**

तालामय टुडू

बनाम्

रैयान मौजा– पहाड़पुर (सुन्दरपहाड़ी)

05/02/2021

-: आदेश :-

आवेदिका– तालामय टुडू, पति– स्व0 बाबूजी मरण्डी, मौजा– पहाड़पुर, थाना नं0– 08 अंचल– सुन्दरपहाड़ी के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन पर अंचल अधिकारी, से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के पत्रांक–277 / रा0 दिनांक– 09.08.2019 से प्राप्त है। प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि मौजा– पहाड़पुर, थाना नं0 08 प्रधानी मौजा है। इसके अंतिम नियुक्त प्रधान स्व0 नारायण मरंडी है। पंजी–II में नारायण मरंडी प्रधान का नाम दर्ज है। पूर्व प्रधान पर कोई आरोप नही था। आवेदिका मौजा– पहाड़पुर, थाना नं0– 08 के जवनबंद नं0–4 के रैयत– आनो मरंडी प्रधान वल्द चुनू मरंडी के परपौत्र वधु है। आवेदिका अन्तिम नियुक्त प्रधान बाबूजी मरंडी, की विधवा पत्नी है, जो गाँव में ही रहती है। पति की मृत्यु के पश्चात् प्रधानी पद खाली है। प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु तालामय टुडू, पति– स्व0 बाबूजी मरण्डी, मौजा– पहाड़पुर, थाना नं0– 08 अंचल– सुन्दरपहाड़ी का अनुशंसा किया गया है। स्थानीय जाँच प्रतिवेदन के साथ दिनांक–24.12.2020 को मौजा–पहाड़पुर, नं0–08 में आयोजित ग्राम सभा की प्रति भी संलग्न किया गया है जिसमें मौजा के रैयतो द्वारा पूर्व प्रधान की विधवा पत्नी को प्रधानी पद के लिए सहमति प्रदान की है।

मौजा के सोलह आना रैयत को आपत्ति हेतु नोटिश का तामिला कराया गया। कहीं से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नही हुआ है।

अत: अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–06 के तहत् उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदिका तालामय टुडू, पति– स्व0 बाबूजी मरण्डी, मौजा– पहाड़पुर, थाना नं0– 08 अंचल– सुन्दरपहाड़ी का प्रधान नियुक्ति किया जाता है। नव नियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक साल का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ कबूलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

05/02/2021
अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

05/02/2021
अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।